न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण 215—निग—III—16

1. सहदेवराम पुत्र खुटईराम ब्रा.
निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर तहसील व
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. सुखई पुत्र रामप्रमोद कहार
निवासी ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर
2. राजेश पुत्र सहदेवराम ब्रा.
निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर तह. व जिला अनूपपुर
3. म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर द्वारा प्र.कं.90/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :–

संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, अनावेदक सुखई ने ग्राम सकरिया में स्थित भूमि ख.नं. 41/3 रकवा 0.121 व ख.नं. 45 रकवा 0.417 हे. भूमि का सीमांकन किये किये जाने बावत राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। अनावेदक कं. 1 सुखई की भूमि से लगी हुई भूमि ख.कं. 44/1 रकवा 0.298 हे. आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है इसी प्रकार

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-215-तीन/2016 जिला अनूपपुर **सहदेवराम** विरूद्ध सुखई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 27.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	